(122)

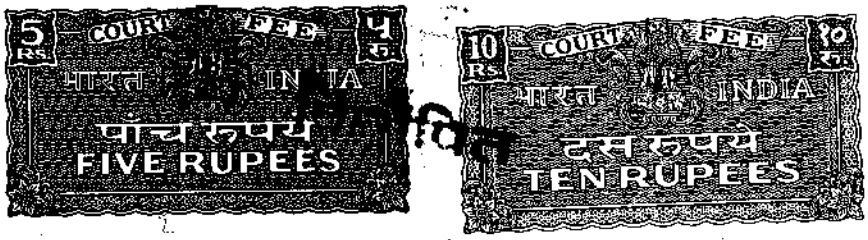

न्यायालय माननीय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : निगरा० 1374-II/07

1. पोथीराम
2. लाखन सिंह
3. सुल्तान सिंह
4. अतिबल सिंह पुत्रगण गन्धर्व सिंह
5. जिलेदार सिंह पुत्र बदन सिंह निवासीगण ग्राम डिडी तहसील व जिला भिण्ड (म.प्र.)

..... निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्री गोविन्द सिंह
2. जसवन्त
3. चतुरी सिंह पुत्रगण श्री रूस्तम सिंह निवासीगण ग्राम किटी तहसील भिण्ड हाल निवासी नाबाद बाग भिण्ड (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 25.05.07 प्रकरण क्रमांक 148/2005–2006/निगरानी उन्वान पोथीराम बनाम श्री गोविन्द पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना

निग. 1375-II/07 (2)

18-5-16 प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 148/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25–5–2007 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 46/02–03 सी 129 में पारित आदेश दिनांक 15–9–2003 के विरूद्व अनावेदक श्री गोविन्द एंव अन्य व्दारा अपर कलेक्टर भिण्ड के समक्ष अपील कमांक 6/03–04 दिनांक 20–1–2004 को प्रस्तुत की गई एंव अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपर कलेक्टर ने अंतरिम आदेश दिनांक 25–7–2006 से विलम्ब क्षमा कर प्रकरण सुनवाई के लिये नियत किया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी कमांक 148/2005–06 प्रस्तुत होने पर आदेश दि0 25–5–2007 से निगरानी अमान्य की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक

को पूर्व में सुना जा चुका है । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 46/02–03 सी 129 में पारित आदेश दिनांक 15–9–2003 के विरूद्व अनावेदक श्री गोविन्द एंव अन्य व्दारा अपर कलेक्टर भिण्ड के समक्ष अपील कमांक 6/03–04 दिनांक 20–1–2004 को प्रस्तुत की गई है अर्थात अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब 4 माह का है जबकि अपर आयुक्त के आदेशानुसार अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दावे में आवेदकगण ने अनावेदक को पक्षकार नहीं बनाया है तब अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की सूचना उन पर यथासमय होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, जिसके कारण अपर कलेक्टर के समक्ष अपील मेमो के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन को स्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की गई है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 148/2005–06 निगरानी में पारित (Speaking Order) दिनांक 25–5–2007 से निगरानी अमान्य की गई है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 148/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25–5–2007 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य